

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-82/2020-21

छोटानागापुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

सोहराई पाहान मुण्डा बनाम मीना देवी

27.01.21

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

सोहराई पाहान मुण्डा पिता-स्व० लखिया पाहान मुण्डा, ग्राम-सोनाहातु, पो०-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-खेतीवारी।

क्रेता का नाम एवं पता -

मीना देवी पति-स्व० बैजनाथ मुण्डा, ग्राम-जामुदाग, पो०-जामुदाग, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-मुण्डा, पेशा-गृहणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री अनुप कुमार जायसवाल।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-15/10/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता मीना देवी पति-स्व० बैजनाथ मुण्डा, ग्राम-जामुदाग, पो०-जामुदाग, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-मुण्डा, पेशा-गृहणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
सोनाहातु	सोनाहातु/58	273	423	49 डी० चौहद्दी:- उ०-देवनाथ महतो। द०-जामुदाग रोड। पू०-मंगल कुम्हार। प०-गनधर्व कुम्हार।

उक्त आवेदन के आलोक में अचल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, सोनाहातु का पत्रांक-456(ii) दिनांक-11/12/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत करमा पाहन वगैरह के नाम से दर्ज है।
- (2) खतियानी रैयत/पंजी-II रैयत के साथ विक्रेता का संबंध दादा-पोता का है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम शम्बत पाहन वो शंकु पाहन पे०-शुखन पाहन वो करमा पाहन वल्द सेटे पाहन है। तथा रैयत के पास रकबा-6.78 एकड़ भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2018-19 तक वसूली गयी है।
- (5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पोता है। तथा खतियान के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-2.90 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को ऋण मुक्ति हेतु बिक्री कर रहे है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो आदिवासी समुदाय के सदस्य है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत विक्रेता सोहराई पाहान मुण्डा पिता-स्व० लखिया पाहान मुण्डा, ग्राम-सोनाहातु, पो०-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-खेतीवारी, को क्रेता मीना देवी पति-स्व० बैजनाथ मुण्डा, ग्राम-जामुदाग, पो०-जामुदाग, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-मुण्डा, पेशा-गृहणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-15/10/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता सोहराई पाहान मुण्डा पिता-स्व० लखिया पाहान मुण्डा, ग्राम-सोनाहातु, पो०-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-खेतीवारी, को क्रेता मीना देवी पति-स्व० बैजनाथ मुण्डा, ग्राम-जामुदाग, पो०-जामुदाग, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-मुण्डा, पेशा-गृहणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)a के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
सोनाहातु	सोनाहातु/58	273	423	49 डी० <u>चौहद्दी:-</u> उ०-देवनाथ महतो। द०-जामुदाग रोड। पू०-मंगल कुम्हार। प०-गनधर्व कुम्हार।

लेखापित एवं संशोधित।

*क. गी०*  
भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।

*क. गी०*  
भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।